विज्ञापन सं. – रा.आ.बैंक/पीएफडी/पीसी/01/2021

परियोजना सलाहकारों के पैनलबद्धता के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने हेतु सूचना

1. राष्ट्रीय आवास बैंक ("बैंक") सहायक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक -I** में संलग्न पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करने वाली पात्र भागीदारी फर्मों/कंपनियों से बैंक के लिए परियोजना सलाहकारों की शॉर्टलिस्टिंग और पैनलबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। परियोजना सलाहकारों के लिए कार्य-क्षेत्र एक सांकेतिक दायरा **अनुलग्नक -II** के अनुसार होगा।

2. आवेदन में बताए गए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक - III),** में आवेदन नीचे दिए गए पते पर दिनांक 15.09.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 05.10.2021 को 05:00 बजे (अवधि और समय) तक जमा किया जा सकता है:

सुश्री मेघना प्रकाश
सहायक महाप्रबंधक
परियोजना वित्त विभाग
तीसरी मंजिल, राष्ट्रीय आवास बैंक
भारत पर्यावास केंद्र, कोर 5 ए,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

3. जमा किए जा रहे आवेदन के लिफाफे पर **"परियोजना सलाहकारों के पैनलबद्धता हेतु आवेदन"** लिखा होना चाहिए।

4. आवेदन, जो विधिवत भरे नहीं हैं और/या जिसमें आवश्यक सहायक दस्तावेजों की कमी है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें 'प्राप्त नहीं' माना जाएगा। उपर्युक्त उल्लिखित कट-ऑफ तिथियों एवं समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को पैनलबद्धता में शामिल करने की प्रक्रिया हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

5. पैनलबद्धता में शामिल परियोजना सलाहकारों के नाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं पैनलबद्धता में शामिल किसी भी परियोजना सलाहकार को अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। पैनलबद्धता में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए परियोजना सलाहकार की संख्या के आधार पर बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जोनल/राज्यवार पैनलबद्धता में शामिल होने पर विचार कर सकता है तथा बैंक अपने विवेक से परियोजना की भौगोलिक स्थिति की निकटता के आधार पर परियोजना सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय ले सकता है।

6. पैनलबद्धता तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, जब तक कि बैंक द्वारा अपने विवेक पर विशेष रूप से असूचीबद्ध नहीं किया जाता है। जबकि सलाहकारों को 03 वर्ष की अवधि हेतु पैनलबद्ध किया जा सकता है, पैनल की अवधि वर्ष के अंत में या बैंक द्वारा तय किए गए अंतराल पर समीक्षा के अधीन होगी। पैनलबद्धता की अवधि समाप्त होने के बाद हर तीन साल में परियोजना सलाहकार को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

7. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर उपर्युक्त सेवा श्रेणी उपलब्ध न होने तक पैनलबद्ध परियोजना सलाहकारों की सेवाओं का बैंक द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

8. पैनलबद्ध हेतु उपयुक्त नहीं पाए जाने वाले किसी भी आवेदक को बैंक द्वारा कोई संचार नहीं किया जाएगा।

9. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह प्रभावित आवेदकों को बिना किसी देनदारी का वहन किए किसी भी समय पैनलबद्धता प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

10. सभी आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड और अन्य मानदंडों हेतु अनुलग्नकों को पढ़ें। इस संबंध में कोई भी प्रश्न ईमेल द्वारा pfd@nhb.org.in पर भेजा जा सकता है।

11. आवेदक बैंक की वेबसाइट Tenders@NHB पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र एवं अन्य प्रारूपों को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक को सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण/साक्ष्य के समर्थन में प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा। सभी संलग्नक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

12. परियोजना सलाहकार के लिये पैनलबद्धता हेतु शुल्क निम्नानुसार है:

- 10,000 /- रूपये प्लस जीएसटी (दस हजार रुपये मात्र + जीएसटी)

(क) सभी आवेदनों के साथ 10,000/- रूपये का पैनलबद्धता शुल्क होना चाहिए (जो पैनल में शामिल न होने की स्थिति में वापस किया जाएगा)।

(ख) इस नोटिस में निर्धारित प्रपत्र एवं किसी अन्य प्रकार से पैनलबद्धता शुल्क के बिना प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) शुल्क बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं आवेदन प्रपत्र में विधिवत रूप से प्रेषण का विवरण प्रदान करना होगा।

(घ) खाते का विवरण जिसमें शुल्क जमा किया जाना है, नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	एचडीएफसी
4	लाभार्थी बैंक शाखा का पता	एचडीएफसी लि. एच.टी हाउस, कनॉट प्लेस18/20, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली -110001
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	00030350007865
7	बैंक शाखा का आईएफसीएस कोड	HDFC0000003

(ङ) आवेदक को **अनुलग्नक - III (ग)** के अनुसार जानकारी भी जमा करना होगा, ताकि असूचीबद्ध होने के मामले में उसे रिफंड प्राप्त हो सके।

13. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में दिए जा रहे ई-मेल आईडी, फोन नंबर और मोबाइल नंबर सही है।

अस्वीकरण:

उन आवेदकों हेतु जिनके आवेदन स्वीकार किए गये हैं उनके प्रति बैंक संविदात्मक रूप से या किसी अन्य प्रकार से कटिबद्ध नहीं है। बैंक को पैनलबद्धता प्रक्रिया के किसी भी भाग या चरणों के साथ आगे कार्य करने के लिए इस प्रकार के अनुरोध को स्वीकार करने पर प्रतिबद्ध या अन्यथा बाध्य नहीं करता है। बैंक एवं उसके निदेशक/अधिकारी/कर्मी/ठेकेदार/एजेंट तथा सलाहकार किसी भी नुकसान या क्षति, इस जानकारी का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा होने वाले व्यय या उसकी लागत लागत एवं इसमें निहित किसी जानकारी में कोई त्रुटि, चूक या गलत बयानी या किसी भी जानकारी के कारण किसी व्यक्ति को होने वाली हानि के लिये सभी देयताओं को अस्वीकार कर सकता है।

--XX--

अनुलग्नक -I और अनुलग्नक -II के लिए अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

--